Journal of Science and Research
Volume - 4, Issue - 1, June 2026 ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 25-05-2026 **Revised**: 27-05-2026 **Accepted**: 30-05-2026

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की धारा 65 बीं का समालोचनात्मक विश्लेषण (भारतीय न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में)

* **डॉ. आलोक कुमार मिश्रा**
फैकल्टी विधि विभाग
अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा

** **रूक्मणि गौतम**
शोधार्थी
एल–एल.एम.

सारांश
डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने न्यायिक प्रणाली को भी प्रभावित किया है । आज अपराधी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, और डिजिटल साक्ष्य जैसे ई–मेल, सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड आदि न्यायिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारतीय न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता मुख्यतः इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65बी पर आधारित है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए विशेष शर्तें निर्धारित करती है।
मूल शब्द : डिजिटल सबूत, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड,धारा – 65, साक्ष्य की ग्राह्यता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सायबर कानून, डिजिटल फोरेंसिक

प्रस्तावना

वर्तमान समय को डिजिटल युग के रूप में जाना जाता है जहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है । इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने न केवल जीवन को सरल बनाया है, बल्कि अपराध के स्वरूप को भी पूरी तरह बदल दिया है । पारंपरिक अपराधों के साथ–साथ अब साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, पहचान की चोरी और डिजिटल जालसाजी जैसे नए प्रकार के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं ।

डिजिटल सबूत की वैधता व परिभाषा–

डिजिटल सबूत से आशय ऐसे साक्ष्य से है जो डिजिटल रूप में निर्मित, संगृहीत या संचारित किया गया हो और जिसे किसी न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । यह साक्ष्य कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर, इंटरनेट या अन्य किसी डिजिटल माध्यम के जरिए प्राप्त होता है ।

कोई भी जानकारी जो डिजिटल रूप में मौजूद हो और अदालत में किसी तथ्य को साबित करने के लिए उपयोग की जाए, उसे डिजिटल सबूत कहा जाता है ।

डिजिटल युग में साक्ष्य का महत्व :

पारंपरिक साक्ष्य जैसे दस्तावेज, गवाहों के बयान और भौतिक वस्तुएँ अब कई मामलों में पर्याप्त नहीं रह गए हैं । आधुनिक अपराधों में अपराधी डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके द्वारा छोड़े गए डिजिटल निशान ही सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बन जाते हैं ।

उदाहरण के लिए–

- ऑनलाइन धोखाधड़ी में बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड
- साइबर बुलिंग में सोशल मीडिया चौट
- हत्या के मामलों में मोबाइल लोकेशन डेटा

इस प्रकार डिजिटल साक्ष्य न केवल अपराध को साबित करने में मदद करता है, बल्कि यह जाँच एजेंसियों के लिए अपराधियों तक पहुँचने का सबसे प्रभावी साधन बन गया है ।

इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं– ई–मेल और मैसेज, व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया पोस्ट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर), कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में संग्रहीत डेटा, सर्वर लॉग्स । विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी डिजिटल की स्वीकार्यता से संबंधित है ।

सत्यापन व प्रमाणन

1. गवाहों, हस्ताक्षर, मुहर आदि के माध्यम से (.5–6)तकनीकी प्रमाण, मेटाडेटा, डिजिटल सिग्नेचर, लॉग फाइल से (. 5–6)
2. संग्रहण सीमित (फाइलों और अलमारियों में रखा जाता है) (. 5–6)विशाल मात्रा में संभव (सर्वर, क्लाउड या स्टोरेज डिवाइस में) (. 5–6)
3. अदालत में प्रस्तुति–मूल दस्तावेज अदालत में पेश किए जाते हैं प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत
4. सुरक्षा /जोखिम आसानी से नष्ट या खराब हो सकते हैं (जलना, फटना आदि) पासवर्ड/ एन्क्रिप्शन से सुरक्षित, लेकिन हैकिंग का खतरा रहता है

भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण में परिभाषा का महत्व

भारतीय न्यायालयों ने डिजिटल साक्ष्य की परिभाषा और उसकी वैधता को समय–समय पर स्पष्ट किया है । न्यायालयों का यह मानना है कि डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए उसकी प्रामाणिकता और अखण्डता सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

सबूत की प्रकृति

1. अमूर्त स्वरूपरू डिजिटल साक्ष्य को छुआ नहीं जा सकता, यह केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होता है।
2. आसानी से परिवर्तनीयरू इसे आसानी से बदला, हटाया या कॉपी किया जा सकता है जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है ।
3. प्रतिलिपि की समानतारू डिजिटल डेटा की कॉपी और मूल में कोई अंतर नहीं होता, जिससे ऑरिजनल और कॉपी का अंतर खत्म हो जाता है ।

तकनीकी निर्भरतारू इसे समझने और प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है ।

इस शोध पत्र में डिजिटल साक्ष्य की वैधता, उससे संबंधित विधिक प्रावधानों, प्रमुख न्यायिक निर्णयों तथा व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही यह भी परखने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान विधिक ढाँचा न्याय के हित में पर्याप्त है या इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

अध्ययन का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि यद्यपि डिजिटल साक्ष्य न्याय प्रणाली को अधिक सक्षम बनाते हैं, किन्तु उनकी विश्वसनीयता और तकनीकी जटिलताओं के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ।

शोध का उद्देश्य

1. डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा को समझना : इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की परिभाषा, प्रकृति और प्रकारों का अध्ययन करना ।
2. भारतीय कानून में डिजिटल साक्ष्य की वैधता का विश्लेषणः विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65ए और 65बी का अध्ययन करना ।
3. न्यायालयों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करनाः प्रमुख न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह समझना कि अदालतें डिजिटल साक्ष्य को कैसे स्वीकार करती हैं ।
4. डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता की शर्तों का अध्ययन करनाः प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता और 65बी प्रमाण पत्र की भूमिका को समझना ।
5. डिजिटल साक्ष्य से संबंधित चुनौतियों की पहचान करनाः तकनीकी समस्याएँ, छेड़छाड़, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दों का विश्लेषण करना ।
6. वर्तमान कानूनी व्यवस्था की कमियों का परीक्षण करनाः यह जानना कि मौजूदा कानून डिजिटल साक्ष्य के संदर्भ में कहाँ कमजोर है ।

7. सुधार के सुझाव प्रस्तुत करनाः डिजिटल साक्ष्य की वैधता को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के उपाय सुझाना ।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना यह है कि भारतीय न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता मुख्यतः इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65बी के अंतर्गत निर्धारित कठोर प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है, जो साक्ष्य की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में सहायक होने के बावजूद कई परिस्थितियों में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है ।

अतः एक लचीले एवं तकनीक–उन्मुख विधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों एवं आधुनिक डिजिटल वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सके ।

संक्षिप्त विवरण

यह शोध भारतीय न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता का विश्लेषण करता है । विशेष रूप से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65बी, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 में दिया गया है, के संदर्भ में अध्ययन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधता, न्यायिक दृष्टिकोण तथा प्रमुख निर्णयों का परीक्षण किया गया है । इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य से संबंधित व्यावहारिक चुनौतियों जैसे प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, तकनीकी जटिलताओं एवं डेटा की विश्वसनीयता का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

अंततः शोध विधिक एवं तकनीकी सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बन सके ।

1. इंडियन एविडेंस एक्ट दृ 1872
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– धारा 63

शोध की समस्या

वर्तमान डिजिटल युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्र डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अपराधों के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन आया है और साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल उत्पीड़न, पहचान की चोरी तथा अन्य तकनीकी अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे मामलों की जांच एवं न्यायिक निर्णयों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।यद्यपि भारतीय न्यायालयों ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65। एवं 65ठ के माध्यम से इसके लिए विधिक आधार भी उपलब्ध कराया गया है, फिर भी डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता तथा संरक्षण से संबंधित अनेक व्यावहारिक एवं कानूनी समस्याएँ विद्यमान हैं।

डिजिटल साक्ष्य आसानी से परिवर्तित, नष्ट या छेड़छाड़ किए जा सकते हैं, जिससे उनकी प्रमाणिकता पर प्रश्न उठता है। इसके अतिरिक्त, जांच एजेंसियों में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी, डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का सीमित विकास, डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रहण एवं प्रस्तुतीकरण की जटिल प्रक्रियाएँ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

भारतीय न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका के बावजूद यह प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल साक्ष्य न्यायिक निर्णयों को किस सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है, तथा न्यायिक प्रक्रिया में उनके उपयोग से कौन–कौन सी चुनौतियाँ और संभावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं।अतः प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साक्ष्यों के महत्व, प्रभाव, स्वीकार्यता, उपयोगिता तथा उनसे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करना है, ताकि न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

प्राथमिक डेटा

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक डेटा के रूप में प्रमुख विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों का उपयोग किया गया है । इस संदर्भ में विशेष रूप से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया है ।

* 1872 के अंतर्गत धारा–65बी डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुख्य आधार है । इस धारा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

*2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं

डिजिटल हस्ताक्षरों को विधिक मान्यता प्रदान की गई है । इस अधिनियम की धारा 2(1)() में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी गई है ।
अतः इस शोध में प्राथमिक डेटा का स्वरूप मुख्यतः विधिक प्रावधान एवं न्यायिक निर्णय हैं, जिनके आधार पर डिजिटल साक्ष्य की वैधता का विश्लेषण किया गया है ।

सारणी क्रमांक–01

डिजिटल सबूत से सम्बंधित डाटा

वर्ग	हाँ	नहीं	अनिश्चित	कुल
पीड़ित	40	30	15	100
आरोपी	70	15	20	100
पुलिस अधिकारी	70	20	15	100
वकील	75	15	10	100
सामान्य जनता	50	25	30	100

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं विधिक विशेषज्ञों का मत

1. न्याय प्रक्रिया की गति– एक हालिया कानूनी अध्ययन के अनुसार, लगभग 99.4प्रति. वकील आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल साक्ष्य के महत्व और आवश्यकता से पूरी तरह सहमत हैं
2. .युवा दृष्टिकोण– लगभग 60 से 75 प्रतिशत अधिकांश लॉ स्टूडेंट्स और युवा वकीलों का मानना है कि डिजिटल सबूत सही न्याय के लिए बेहद जरूरी और वैज्ञानिक होते हैं ।
3. आम आदमी की राय (पब्लिक परसेप्शन सर्वे)रू डिजिटल साक्ष्य को लेकर समाज में मिली–जुली राय है। लगभग 65ः से 75ः आम भारतीय डिजिटल साक्ष्यों को निष्पक्ष मानते हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ की कमी के कारण यह धारणा मिश्रित है ।
4. अस्वीकार्यता का बड़ा कारण– यद्यपि डिजिटल सबूत मामलों का समय घटाते हैं और सबसे निर्णायक होते हैं, फिर भी विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत डिजिटल सबूत तकनीकी कमियों या प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेट सम्बन्धी) त्रुटियों की वजह से अदालतों में अस्वीकार हो जाते हैं ।

विधिक प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम – धारा 65बी / धारा 63 की भूमिका–
यह धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता को सुनिश्चित करती है जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 में वर्णित है (. 3, 9)। यह डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता देती है और उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में वैध बनाती है । यह प्रमाणपत्र साक्ष्य की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुरक्षित बनती है। अदालत शर्तों के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करती है । नए कानून में इस प्रक्रिया को और स्पष्ट एवं मजबूत किया गया है ।

डिजिटल सिग्नेचर:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मान्यता दी गई है । यह ई–गवर्नेंस और ई–कॉमर्स की रीढ़ मानी जाती है । डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो किसी डिजिटल दस्तावेज (जैसे पीडीएफ, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म) की पहचान, प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है

साइबर अपराध कानून :

भारत में साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए आई.टी. एक्ट 2000 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएँ लागू होती हैं, जो डिजिटल सबूत की स्वीकार्यता और छेड़छाड़ को नियंत्रित करती हैं :

- धारा 43–कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना
- धारा 66– हैकिंग और कंप्यूटर से संबंधित अपराध
- धारा 66 सी – पहचान की चोरी
- धारा 66 डी – ऑनलाइन धोखाधड़ी
- धारा 67 – अश्लील सामग्री का प्रकाशन

डिजिटल सबूत की विशेषताएँ एवं शर्तें:

1. वैधानिक मान्यता : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है ।
2. धारा–65बी का प्रमाण पत्र : ईमेल, व्हाट्सएप चौट, सीसीटीवी फुटेज को अदालत में स्वीकार करने के लिए 65ठ आवश्यक होता है, जो सुनिश्चित करता है कि डेटा सही तरीके से तैयार किया गया है ।
3. मौलिकता और अखंडता: यह दिखाना जरूरी है कि डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और रिकॉर्ड सुरक्षित व विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुआ है ।
4. तकनीकी विश्वसनीयता: जिस कंप्यूटर या डिवाइस से डेटा लिया गया है, उसका सही तरीके से कार्य करना और नियमित उपयोग साबित करना आवश्यक है ।
5. सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार्यता: डिजिटल रिकॉर्ड को अक्सर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में (प्रिंट आउट, सीडी, पेनड्राइव) पेश किया जाता है, जो धारा 65बी के नियमों के पालन पर ही स्वीकार्य है ।
6. न्यायालय का विवेक: अदालत संदेह होने पर अतिरिक्त साक्ष्य या विशेषज्ञ (डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट) से राय मांग सकती है ।

महत्वपूर्ण केस लॉ

1. Anvar P.V. vs P.K. Basheer (2014) SCC 473
   - तथ्य: चुनाव याचिका के दौरान सीडी में रिकॉर्ड किए गए गाने और भाषण को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था ।
   - मुख्य मुद्दा: क्या बिना प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 65बी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
2. Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) SCC 1
   - तथ्य: चुनाव से संबंधित विवाद में सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे
   - मुख्य मुद्दा: कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि 65बी प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है ।
3. State (NCT of Delhi) vs Navjot Sandhu (2005) 11 SCC 600 (Parliament Attack Case)
   - तथ्य: इस मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मोबाइल डेटा को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था ।
   - मुख्य मुद्दा: क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बिना 65बी प्रमाण पत्र के स्वीकार किया जा सकता है (p- 12)? (बाद के निर्णयों में इस रुख को बदला गया) ।
4. Tomaso Bruno vs State of Uttar Pradesh (2015) 7 SCC 17 b
   - तथ्य: हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था लेकिन उसे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
   - मुख्य मुद्दा: क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत न करना न्याय को प्रभावित करता है
5. Shafhi Mohammad vs State of Himachal Pradesh (2018) 2 SCC 801
   - तथ्य: वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था ।
   - मुख्य मुद्दा: क्या हर स्थिति में 65बी प्रमाण पत्र आवश्यक है

सारांश विश्लेषण: इन सभी मामलों से स्पष्ट है कि धारा 65बी प्रमाण पत्र डिजिटल साक्ष्य की कुंजी है । सुप्रीम कोर्ट ने समय–समय पर अपने दृष्टिकोण को सख्त किया है । वर्तमान कानून के अनुसार बिना प्रमाण पत्र के डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है

हाल के विकास (2023–2025)

1. नया कानून – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (लागू: 1 जुलाई 2024)
   - डिजिटल रिकॉर्ड को अब पूरी तरह से दस्तावेज के बराबर माना गया है ।

○ नए कानून की धारा 61–63 डिजिटल साक्ष्य की वैधता को नियंत्रित करती है ।

2. धारा 65बी का नया रूप – धारा 63 : पुराने कानून की धारा 65बी को अब धारा 63 के रूप में शामिल किया गया है । शर्तें वही हैं, लेकिन भाषा अधिक स्पष्ट और आधुनिक है ।
3. प्राथमिक साक्ष्य के समान दर्ज : यदि धारा 63 की शर्तें पूरी हों, तो डिजिटल रिकॉर्ड को बिना मूल दस्तावेज के भी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।
4. न्यायिक रुझान और लचीलापन: सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट को जरूरी मानता है, लेकिन कुछ मामलों में अदालतें लचीलापन दिखा रही हैं । जैसे– म.प्र. हाईकोर्ट (2025 – बालाघाट फैमिली कोर्ट) ने कहा कि पारिवारिक मामलों में बिना 65बी प्रमाण पत्र के भी फोटो को स्वीकार किया जा सकता है ।
5. जाँच में बढ़ता उपयोग: नए कानून के तहत क्राइम सीन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है और 'ई–साक्ष्य' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है, हालांकि पुलिस के सामने अभी भी तकनीकी प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ हैं ।
6. ई–एफआईआर और डिजिटल न्याय प्रणालीरू ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल गवाह और इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट से केस की सुनवाई तेज हो रही है और पारदर्शिता बढ़ रही है ।

डिजिटल साक्ष्य से जुड़ी चुनौतियाँ

1. तकनीकी जटिलतारू जज और वकीलों के लिए तकनीकी पक्षों को समझना कठिन होता है ।
2. छेड़छाड़ का खतरारू डिजिटल डेटा को आसानी से बदला या एडिट किया जा सकता है ।
3. प्रमाण पत्र की समस्यारू कई मामलों में समय पर 65बीध्63 सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाता ।
4. साइबर सुरक्षा और गोपनीयतारू डेटा लीक और प्राइवेसी (गोपनीयता) का खतरा बना रहता है
5. एआई और डीपफेकरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण फर्जी डिजिटल साक्ष्य और डीपफेक वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है ।

सुझाव

- डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए ।
- जज, वकीलों और पुलिस अधिकारियों को विशेष डिजिटल साक्ष्य प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दी जाए ।
- कानूनी प्रक्रिया को और सरल व लचीला बनाया जाए ।
- साक्ष्य सुरक्षा और चेन ऑफ कस्टडी को सख्ती से लागू किया जाए ।
- एआई और डीपफेक अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए जाएँ ।
- अदालतों में ई–कोर्ट, ई–फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया जाए
- जन जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि आम नागरिक जान सकें कि डिजिटल साक्ष्य कैसे सुरक्षित रखने हैं ।

निष्कर्ष

भारत में डिजिटल साक्ष्य की वैधता का कानूनी ढाँचा मजबूत और विकसित हो रहा है । तकनीकी प्रगति के साथ ईमेल, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया डेटा न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं । व्यावहारिक स्तर की चुनौतियों (जैसे डीपफेक का खतरा, प्रमाण पत्र की कठिनाई) को तकनीकी सुधार और प्रक्रियात्मक लचीलेपन से दूर करके इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है

शोध विधि

यह शोध डॉक्ट्रिनल और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया गया है । इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके अपनाए गए हैंरू

- कानून, धाराओं और केस लॉ का विश्लेषण (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय) ।
- कानूनी किताबें और सरकारी रिपोर्ट ।
- ऑनलाइन कानूनी वेबसाइट्स (जैसे इण्डियन कानून, एससीसी ऑनलाइन, लाइव लॉ) ।

- केस स्टडी मेथड और तुलनात्मक अध्ययन (1872 बनाम – 2023) ।

परिणाम

इस अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक न्याय व्यवस्था में डिजिटल सबूत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों और जांच एजेंसियों के लिए डिजिटल साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल सबूत वर्तमान न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये न केवल अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाते हैं, बल्कि न्यायालयों को निष्पक्ष, त्वरित एवं तथ्यपरक निर्णय देने में भी सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि, इनके प्रभावी उपयोग के लिए विधिक ढांचे को सुदृढ़ करना, डिजिटल फोरेंसिक अवसंरचना का विकास करना तथा न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रकार डिजिटल साक्ष्य न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता, दक्षता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ :

- Bare Act – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Government Official Website)
- Indian Evidence Act 1872 – Information Technology Act 2000
- SSRN Paper: Admissibility of Electronic Evidence
- Ministry of Home Affairs (New Criminal Laws Report)
- Live Law, Law Asia Articles, The Times of India News Reports